

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या- 0145-2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-एफ14()एफसीए/उवसं/2019-20/ 3998

दिनांक:- 22/05/2019

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय:- Communication post for Airport Kishangarh.

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर का ईडीसी क्रमांक एफ(आरवीपीएन)14/2016/
एफसीए/प्रमुवसं/सीसीएफ-1 जयपुर दिनांक 15.01.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि प्रकरण में सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाये गये ईडीएस की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित हैं:-

क्र.सं.	प्रमुवसं, राज जयपुर का ईडीएस दि.15.01.18	प्रतिउत्तर
1	यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	यूजर एजेंसी द्वारा वनाधिकार प्रमाण पत्र उनके पत्रांक 1531 दिनांक 23.05.2018 एवं कैम्प अजमेर-1 दिनांक 08.05.2019 द्वारा प्रेषित कर दिये गये हैं। चार प्रतियों में संलग्न है।
2	यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्ताव की प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं लगाये जाने वाले टावर का क्रास सेक्शन संलग्न नहीं किया गया है।	यूजर एजेंसी द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेज नं.23 से 25 एवं टॉवर का क्रास सेक्शन पूर्व में प्रेषित प्रस्तावों में पेज नं.37 पर संलग्न हैं।
3	प्रस्तावों में यूजर एजेंसी द्वारा बार चार्ट संलग्न नहीं किया गया है।	यूजर एजेंसी द्वारा बार चार्ट संलग्न कर दिया गया है।
4	उप वन संरक्षक अजमेर द्वारा प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	पार्ट-II के बिन्दु संख्या में कार्य आयोजना विवरण में Forest Protection working Circle अंकित कर दिया गया है।
5	उप वन संरक्षक, अजमेर द्वारा प्रस्ताव के पार्ट-II के बिन्दु संख्या 13 में प्रस्ताव में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के संधारण हेतु निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना, स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं वृक्षारोपण की स्थल की केएमएल फाईल, जीटी शीट एवं डीजीपीएस मेप संलग्न नहीं किया गया है।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना, स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं वृक्षारोपण की स्थल की केएमएल फाईल, जीटी शीट एवं डीजीपीएस मेप संलग्न हैं।
6	उप वन संरक्षक अजमेर द्वारा प्रस्ताव में एनपीवी की गणना नहीं की गई है।	एनपीवी की गणना निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर दिये गये हैं।
7	उप वन संरक्षक अजमेर द्वारा प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि का गजट नोटिफिकेशन संलग्न नहीं किया गया है।	प्रस्तावित वनभूमि की गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

उक्त लगाये गये समस्त आक्षेपों की पूर्ति दिनांक .05.2019 को ऑनलाईन कर दी गई है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार प्रस्ताव चार प्रतियों में।

भवदीय,

(सुदीप कौर)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :-सम/

दिनांक:-

1. प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
2. प्रतिलिपि निदेशक विमानपत्तन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, किशनगढ़ हवाई अड्डा (अजमेर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

उप वन संरक्षक
अजमेर